IJCRT.ORG ISSN : 2320-2882

INTERNATIONAL JOURNAL OF CREATIVE RESEARCH THOUGHTS (IJCRT)

An International Open Access, Peer-reviewed, Refereed Journal

वैश्वीकरण का मानव अधिकारों पर प्रभाव

सारिका
शोधार्थी
डॉ. राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय, अयोध्या
शोध निदेशक
प्रोफेसर डॉ. अनिल कुमार श्रीवास्तव (समाजशास्त्र विभाग)
जवाहरलाल नेहरू मेमोरियल पोस्टग्रेजुएट महाविद्यालय, बाराबंकी

सारांश

वैश्वीकरण की प्रक्रिया के द्वारा प्रभावित हो रहे पर्यावरण से मानव अधिकारों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मानवाधिकारों की सुरक्षा हेतु प्रण लिए गए हैं इन मानव अधिकारों में मानव के जन्म लेने से लेकर उसके जीवन में होने वाली सभी घटनाओं जैसे समानता का अधिकार, जीवन की स्वतंत्रता का अधिकार, नागरिक होने का अधिकार, विचारों को स्वतंत्रता पूर्वक विस्तारित करने का अधिकार, धर्म को स्वतंत्र चेतना से स्वीकारने का अधिकार, समाज में सुरक्षा, बेरोजगारी के विरोध और जीवन को उच्च स्तरीय जीने के साथ–साथ , कला, संस्कृति और विज्ञान में रुचि लेने और प्रतिभाग करना के अधिकार सम्मिलित है। यह शोध पत्र वैश्वीकरण के द्वारा मानव के सामान्य अधिकारों के साथ–साथ सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक एवं पर्यावरण के परिवर्तनों को विश्लेषण करना है प्रदूषित पर्यावरण के द्वारा मानव स्वास्थ्य पर पड़ रहे प्रभाव एवं विकासशील अर्थव्यवस्थाओं के नकारात्मक पहलुओं की ओर ध्यानाकर्षित करता है। वैश्वीकरण की निरंतर परिवर्तनशील अवस्था पर्यावरण क्षरण और विश्व में उभरने वाली शक्तियों के केंद्र में यह शोध पत्र मानव अधिकारों के वास्तविक स्वरूप की सूक्ष्म व्याख्या करता है।

महत्वपूर्ण शब्दः *संयुक्त राष्ट्र ग्लोबल कॉम्पैक्ट, विश्व व्यापार संगठन, अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन*

वैश्वीकरण शब्द 20वीं शताब्दी में प्रचलन में आया जिसने विकसित और विकासशील देशों के मध्य आर्थिक, गतिविधियों को सुचारू एवं सुगम बनाने के मार्ग खोले यद्यपि वैश्वीकरण ने मात्र आर्थिक ही नहीं अपितु सामाजिक व सांस्कृतिक स्थिति को भी प्रभावित किया है और कालांतर में बढ़ते हुए औद्योगिक विकास और आर्थिक निवेश की लालसा ने मानव जीवन की परिस्थितियों को विभिन्न रूपों में प्रभावित करने की प्रक्रिया जारी रखी है। वैश्वीकरण के अर्थ में है, 'स्थानीय या क्षेत्रीय वस्तुओं या घटनाओं के विश्व स्तर पर रूपान्तरण की प्रक्रिया।' अर्थात किसी घटना या वस्तु का विश्व स्तर पर क्या प्रभाव रहा है। 'वैश्वीकरण' को एक सदियो लम्बी प्रक्रिया के रूप में देखा जाता है जो मानव जनसंख्या व सभ्यता के विकास पर नजर रखती है।

किन्तु मानव जीवन जिसके कारण सर्वाधिक प्रभावित होता है एवं जिसकी आपूर्ति कर पाना भी दुर्लभ है, जो मात्र पृथ्वी ग्रह की ही विशेषता है, वह है हमारा पर्यावरण, जिसे वैश्वीकरण के द्वारा नकारात्मक व सकारात्मक दोनों ही रूप से प्रभावित किया गया है मानव जीवन अनमोल है जिसे सुरक्षित और संरक्षित करने लिए समस्त मानव जाति को एक साथ प्रयास से ही सम्भव है। जिसकी दिशा में राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मानवाधिकारों की सुरक्षा हेतु प्रण लिए गए हैं इन मानव अधिकारों में मुख्यतः 30 मानव अधिकार है इसमें मानव के जन्म लेने से लेकर उसके जीवन में होने वाली सभी घटनाओं जैसे समानता का अधिकार, जीवन की स्वतंत्रता का अधिकार, नागरिक होने का अधिकार, विचारों को स्वतंत्रता पूर्वक विस्तारित करने का अधिकार, धर्म को स्वतंत्र चेतना से स्वीकारने का अधिकार, समाज में सुरक्षा, बेरोजगारी के विरोध और जीवन को उच्च स्तरीय जीने के साथ–साथ , कला, संस्कृति और विज्ञान में रुचि लेने और प्रतिभाग करना के अधिकार सम्मिलित है।

किंतु विडम्बना यह है कि वैश्वीकरण के दौर में इन मानव अधिकारों के प्रति सचेत रहने और लगातार कार्य करने के बावजूद इसके प्रति उदासीनता देखी जा रही है इन अधिकारों की सूची में कहीं पर भी स्पष्ट रूप से पर्यावरण को सुरक्षित रखने का अधिकार सम्मिलित नहीं किया गया है जो की वर्तमान समय में मानव सहित सभी जीवों के लिए महत्वपूर्ण विषय है पर्यावरण मानव जीवन के विकास का और विस्तार का मूल स्रोत है पृथ्वी मात्र ऐसा ग्रह है जिसके पर्यावरण के कारण ही इस पर मानव जीवन संभव है अतः हमारे लिए पर्यावरण को सुरक्षित और संरक्षित रखना सबसे महत्वपूर्ण कार्य होना चाहिए लेकिन बढ़ते हुए औद्योगिकरण के अंतर्गत हो रहे विकास ने पर्यावरण को दूषित किया है और कभी न पूरी की जाने वाली क्षति पहुंचाई है और इस प्रक्रिया को और भी जटिल बनाने में वैश्वीकरण ने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभायी है, जिससे निकट ही नहीं दूर दराज के स्थान भी बहुत प्रभावित हुए हैं।

वैश्वीकरण अपने आप में मानवाधिकारों का उल्लंघन नहीं करता है कि यह हर जगह सार्वभौमिक मानवाधिकारों की प्राप्ति को नकारात्मक रूप से प्रभावित करता है, उदाहरण के लिए अंतरराष्ट्रीय कंपनियों ने इस कारण भी चिंता बढ़ायी है कि आर्थिक और राजनीतिक वैश्वीकरण के कारण राष्ट्रीय सरकारों का सामाजिक और आर्थिक प्रक्रियाओं पर कम नियंत्रण है। एक अन्य उदाहरण सरकारी निर्णयों में मानवाधिकारों के विचारों की प्राथमिकता से संबंधित है, जो संदिग्ध है खासकर जब सरकारों की आर्थिक नीतियाँ बाजार में उतार–चढ़ाव और विदेशी निवेशकों की कार्रवाइयों के साथ–साथ व्यापार विवादों के निपटारे पर निर्भर करती हैं।

वैश्वीकरण के कारण जो मानवाधिकार खतरे में हैं उनमें से कुछ निम्नलिखित हैं:

- **विभिन्न देशों के लोगों को सम्मान में समानता और गैर–भेदभाव के अधिकार। (उदाहरण के लिए विकासशील देशों में श्रमिकों के लिए खराब स्वास्थ्य और सुरक्षा स्थितियों के माध्यम से)**
- **दूसरे देशों से आने वाले लोगों के स्वास्थ्य, भोजन और आश्रय के अधिकार।**
- **एक से दूसरे देशों में जाकर काम करने से भी मानवाधिकारों के साथ समझौता करना पड़ता है। कई बार सस्ते श्रम के कारण बड़ी कम्पनियाँ विकासशील देशों से लाने वाले मजदूरों के मानवाधिकारों का हनन करती है और कई बार ये इन देशों में स्थापित होकर वहीं के लोगों के बीच असमानता बढ़ाती है।**
- **जीवन के अधिकार, व्यापार समझौतों के माध्यम से जो गरीब देशों के लोगों के लिए दवाओं तक पहुंच को निषेधात्मक बनाते हैं**

- **संपत्ति के स्वामित्व का अधिकार उदाहरण के लिए बांध या बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के मामले में मूल निवासियों के साथ बेदखली के माध्यम से।**
- **स्वास्थ्य और स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार उदाहरण के लिए विकासशील देशों में खतरनाक अपशिष्ट के संकेन्द्रण के माध्यम से या सरकारों द्वारा जलवायु परिवर्तन के संबंध में की जाने वाली कार्रवाइयों के संबंध में अंतर्राष्ट्रीय आम सहमति के अभाव भी मानवाधिकार प्रभावित होते हैं।**
- **कार्यस्थल पर हानिकारक प्रकार के कार्य और शोषण के विरुद्ध संरक्षण का अधिकार उदाहरण के लिए विदेशी निवेशकों का हित न खोने के लिए सरकारों द्वारा हानिकारक प्रकार के कार्य को सहन करना।**
- **मूल निवासियों के अपनी संस्कृति और विकास के अधिकार उदाहरण के लिए वनों की कटाई और गंभीर प्रदूषण के माध्यम से उन क्षेत्रों का विनाश जिसमें मूल निवासी समुदाय रह रहे हैं, उनकी भूमि का औद्योगिक दोहन और अधिग्रहण।[1]**

वैश्वीकरण की प्रक्रिया ने विश्व के विभिन्न क्षेत्रों को प्रभावित किया है जिसमें राजनीतिक गतिविधियों एवं आर्थिक गतिविधियां शामिल है राजनीतिक रूप से प्रभावित होने वाले देशों में सर्वाधिक विकासशील देश है क्योंकि वैश्वीकरण की प्रक्रिया विकसित से विकासशील देशों की ओर चलती है इसका कारण आर्थिक हितों में समाहित होता है सैद्धांतिक अर्थों में 'राजनीतिक वैश्वीकरण' विश्व भर में देशों की सरकारों का एक गठन है, जो राष्ट्रों के बीच सम्बन्धों का संचालन करता है, इसके अतिरिक्त सामाजिक व आर्थिक वैश्वीकरण से उत्पन्न होने वाले अधिकारों की गारन्टी देता है। वैश्वीकरण की इस दौड़ में संयुक्त राज्य अमेरिका ने सर्वाधिक शक्ति का लाभ प्राप्त किया।[3] ऐसा उसने राजनीतिक स्तर पर किया, क्योंकि इसकी आर्थिक स्थिति अन्य देशों के मुकाबले में बेहतर थी। जिसके चलते वैश्विक वर्चस्व में इसके द्वारा अन्य दूसरे देशों के नागरिकों के मानव अधिकारों का उसके द्वारा समय–समय पर हनन किया गया, चाहे नागासाकी हिरोशिमा (जापान) हो या अफगानिस्तान राजनीतिक वैश्वीकरण के दो पहलुओं को देखता है :– (1) जैवमण्डल में नजर आ रही क्षति, (2) गरीबी, असमानता, न्याय में हो रही देरी, पारम्परिक संस्कृति का क्षरण। जो कि दोनों ही रूपों में मानव के जीवन को प्रभावित करने वाली है और मानवाधिकारों का हनन करती है।

वैश्वीकरण के आर्थिक पक्ष ने समस्त जैव मण्डल को नुकसान पहुंचाया है जिससे इस वैश्वीकरण का सीधा प्रभाव मानव अधिकारों पर पड़ रहा है एक ओर विकासवादी देश है जो विकास के नाम पर समस्त पर्यावरण को भयानक क्षति पहुँचा रहे हैं, दूसरी ओर ऐसे विकासशील देश बहुत कम हैं जो 'जियो और जीने दो के नियम को अपनाये हुए हैं।

किंतु इसकी पुष्टि इस तथ्य से की जा सकती है कि हम जियो और जीने दो के सिद्धान्त को किस हद तक अपनाये हुए हैं, जल मण्डल में होने वाले प्रदूषण से जल में प्रवाहित होने वाले मल के मिलने से अनेक बैक्टीरिया और अन्य रोग पैदा होते हैं। टॉयफाइड, पीलिया, पेचिश जैसे रोग जल मण्डल के दूषित होने से होते हैं। पारा (मरकरी) लेड (सीसा) फ्लोराइड पानी में मिलने से मानव को नुकसान पहुंचता है यहाँ तक उसकी मृत्यु तक हो सकती है। उत्तर प्रदेश के प्रयोगशाला में मैगी के जिन पैकेट्स की जाँच की गयी उनमें 'सीसे' की मात्रा अत्यधिक होने से उसे प्रतिबन्धित कर दिया गया।[4] सीसे की अधिक मात्रा शरीर में पहुंचने से मानसिक रोग, उच्च रक्त चाप आदि बीमारियाँ देखने में आती है। इसके अलावा पानी में ऑक्सीजन की कमी होने के कारण पानी में रहने वाले प्राणियों और पौधों की भी मृत्यु हो जाती है।

इस प्रकार की स्थिति पर्यावरण क्षति के साथ साथ मानव अधिकार जो की धरती पर उपलब्ध पर्यावरण स्वच्छ वायु जल और स्थल के रूप में उपलब्ध होना चाहिए, को भी हानि पहुंचा रहा है। उद्योगों एवं तकनीकियों के सर्वाधिक उपयोग से निकलने वाला दूषित जल धुआं और अपशिष्ट पदार्थ संपूर्ण रूप से पृथ्वी के वातावरण को प्रभावित करते हैं दूषित जल को नदी और समुद्र में निस्तारित करने से मानव उपयोग हेतु पेयजल पेयजल दूषित हो रहा है धुंवे के रूप में स्वच्छ वायु प्रभावित हो रही है जो की मानव जीवन के लिए सर्वाधिक उपयोगी एवं अपशिष्ट पदार्थ भूमि को बंजर एवं ऊसर बनाती है और मशीनों के अधिक उपयोग धरती में भूस्खलन की स्थिति को उत्पन्न कर रहे हैं, जिसका सर्वाधिक ज्वलंत उदाहरण उत्तराखंड में देखा जा सकता है जहां वर्ष 2014 से 2021 तक 14720 स्थानों पर भूस्खलन हुआ है।[8]

वैश्वीकरण एक दूसरे के और करीब ला रहा है, अगर हम कुछ लोगों की असुरक्षाओं को नजरअंदाज करना चुनते हैं, तो वे जल्द ही सभी की असुरक्षा बन जाएंगी। विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ) समझौतों में अक्सर मनुष्य के जीवन से जुड़े अधिकारों व उनके परिणामों की चर्चा करता है, भले ही उनमें मानवाधिकारों का उल्लेख सीधे तौर पर न हो। उदाहरण के लिए, 2001 में अपनाए गए बौद्धिक संपदा अधिकारों के व्यापार संबंधी पहलुओं (ट्रिप्स) पर डब्ल्यूटीओ समझौते में ऐसी आवश्यकताएं शामिल हैं जिन्हें राष्ट्रों के कानूनों को कॉपीराइट की सुरक्षा के लिए पूरा करना होगा, जिसमें फार्मास्युटिकल उद्योग और अन्य पेटेंट जैसे क्षेत्र शामिल हैं। जिन राज्यों के पास पेटेंट दवाओं के लिए भुगतान करने के लिए वित्तीय संसाधन नहीं हैं – या अपनी खुद की जेनेरिक दवाएँ बनाने की क्षमता नहीं है – उनके लिए यह आवश्यकता मानव के स्वास्थ्य के अधिकार के साथ टकराव में है और जीवन के अधिकारों पर हनन का एक प्रमाण है।

2004 में, वैश्वीकरण के सामाजिक आयाम पर अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन विश्व आयोग ने एक निष्पक्ष वैश्वीकरण सभी के लिए अवसर पैदा करना रिपोर्ट जारी की, जिसमें वैश्वीकरण प्रक्रियाओं में मानवाधिकारों के सम्मान की आवश्यकता बताई गई है। आयोग ने इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए 9 उपायों की पहचान की–

- **(लोगों) पर ध्यान केंद्रित करना,** जिससे उनकी माँगें, उनके अधिकार, सांस्कृतिक पहचान, स्वायत्तता के लिए सम्मान, सभ्य कार्य, और वे जिस स्थानीय समुदाय में रहते हैं, उनका सशक्तिकरण, लैंगिक समानता शामिल है।
- **एक लोकतांत्रिक और प्रभावी राज्य।** जिसमें वे वैश्विक अर्थव्यवस्था में एकीकरण का प्रबंधन करने, सामाजिक और आर्थिक अवसर पर सुरक्षा प्रदान करें।
- **सतत विकास।** स्थानीय राष्ट्रीय, क्षेत्रीय और वैश्विक स्तरों पर आर्थिक विकास सामाजिक विकास और पर्यावरण संरक्षण के परस्पर सुदृढ़ स्तंभों को सुरक्षित किया जाना चाहिए।
- **उत्पादक और न्यायसंगत बाजार** के अन्तर्गत संस्थानों को एक अच्छी तरह से काम करने वाली बाजार अर्थव्यवस्था में अवसर और उद्यम को बढ़ावा देने की आवश्यकता है।
- **निष्पक्ष नियम** के माध्यम से वैश्विक अर्थव्यवस्था को सभी देशों के लिए समान अवसर और पहुँच प्रदान करनी, जिससे राष्ट्रीय क्षमताओं और विकासात्मक आवश्यकताओं में विविधता को पहचानना आवश्यक है।

- **एकजुटता के साथ वैश्वीकरण।** जिसके द्वारा देशों के भीतर और उनके बीच असमानता को दूर करने में सहायता और गरीबी उन्मूलन में योगदान देना चाहिए।
- **लोगों के प्रति अधिक जवाबदेही** सुनिश्चित की जानी चाहिए, जिससे सार्वजनिक और निजी कार्यकर्ताओं को उनके द्वारा अपनाई गई नीतियों और कार्रवाइयों के लिए लोकतांत्रिक रूप से जवाबदेह होना चाहिए।
- **घनिष्ठ भागीदारी।** वैश्वीकरण में कार्यकर्ताओं के बीच संवाद और भागीदारी – अंतर्राष्ट्रीय संगठन, सरकारें और संसद, व्यवसाय, श्रम, नागरिक समाज – एक आवश्यक लोकतांत्रिक साधन के रूप में अपनी भूमिका का निर्वहन सुनिश्चित करें।
- **एक प्रभावी संयुक्त राष्ट्र** की संस्थागत मजबूती वैश्वीकरण के लिए एक लोकतांत्रिक, वैध और सुसंगत ढांचा बनाने के लिए एक मजबूत और अधिक कुशल बहुपक्षीय प्रणाली स्थापित की जानी चाहिए।

वैश्वीकरण लाभ के लिए निर्बाध खोज की प्रतिक्रिया है जिसने मानवाधिकार समुदाय को मानवाधिकारों के कई क्षेत्रों में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया है। उदाहरण के लिए विकास के अधिकार को स्पष्ट करना, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकारों की न्यायसंगतता को आगे बढ़ाना और **संयुक्त राष्ट्र ग्लोबल कॉम्पैक्ट** के सिद्धांतों को आगे बढ़ाना मानव के अधिकारों को सुरक्षित और संरक्षित करने के लिए वैश्विक स्तर पर कई मंचों का निर्माण किया गया है जिनमें से संयुक्त राष्ट्र ग्लोबल कंपैक्ट भी है जो की विभिन्न देशों के व्यवसायों और प्रमुख फर्मों को संधारणीय और सामाजिक रूप से जिम्मेदार नीतियों को निर्मित एवं अनुपालन पर रिपोर्ट प्रकाशित करता है यह एक गैर बाध्यकारी संयुक्त राष्ट्र समझौता है जिसके द्वारा कुछ सिद्धांतों का निर्माण किया गया है जो वैश्विक स्तर पर मानवाधिकारों की सुरक्षा को समर्पित है।

संयुक्त राष्ट्र ग्लोबल कॉम्पैक्ट के दस सिद्धांत

सिद्धांत 1: व्यवसायों को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर घोषित मानव अधिकारों के संरक्षण का समर्थन और सम्मान करना चाहिए।

सिद्धांत 2: सुनिश्चित करें कि वे मानव अधिकारों के हनन में सहभागी नहीं हैं।

सिद्धांत 3: व्यवसायों को एसोसिएशन की स्वतंत्रता और सामूहिक सौदेबाजी के अधिकार की प्रभावी मान्यता को बनाए रखना चाहिए।

सिद्धांत 4: सभी प्रकार के जबरन और अनिवार्य श्रम का उन्मूलन।

सिद्धांत 5: बाल श्रम का प्रभावी उन्मूलन।

सिद्धांत 6: रोजगार और व्यवसाय के संबंध में भेदभाव का उन्मूलन।

सिद्धांत 7: व्यवसायों को पर्यावरण संबंधी चुनौतियों के प्रति एहतियाती दृष्टिकोण का समर्थन करना चाहिए।

सिद्धांत 8: अधिक पर्यावरणीय जिम्मेदारी को बढ़ावा देने के लिए पहल करना।

सिद्धांत 9: पर्यावरण के अनुकूल प्रौद्योगिकियों के विकास और प्रसार को प्रोत्साहित करना।

सिद्धांत 10: व्यवसायों को जबरन वसूली और रिश्वतखोरी सहित सभी प्रकार के भ्रष्टाचार के खिलाफ काम करना चाहिए।

पृथ्वी एक है, लेकिन दुनिया एक नहीं है। वैश्वीकरण में एक सामान्य अवधारणा देखी जा रही है कि लोग पृथ्वी के संसाधनों का इतनी तेजी से उपभोग करते हैं कि भविष्य की पीढ़ियों के लिए बहुत कम ही बच रहा है। वहीं कुछ ऐसे देश भी हैं जो जनसंख्या की दृष्टि से तो अधिक है किंतु बहुत कम उपभोग करते हैं और भूख, गंदगी, बीमारी और समय से पहले मृत्यु की संभावना के साथ जीते हैं।

2008 के वित्तीय संकट का मानवाधिकारों पर नकारात्मक प्रभावए जो वैश्विक वित्तीय आंदोलनों का परिणाम हैए मई 2012 में पुर्तगाल की यात्रा पर मानवाधिकारों के लिए यूरोपीय परिषद के आयुक्त द्वारा उजागर किया गया था। निल्स मुइज़नीक्स ने कहा पुर्तगाल में अब तक लागू किए गए वित्तीय मितव्ययिता उपायों ने सबसे कमजोर सामाजिक समूहों, विशेष रूप से बच्चों, बुजुर्गों और रोमा के मानवाधिकारों को असंगत रूप से प्रभावित किया है। पुर्तगाल यूरोपीय सामाजिक चार्टर का एक राज्य पक्ष है, जिसके तहत इसने उन सभी व्यक्तियों की प्रभावी रूप से रक्षा करने का बीड़ा उठाया है जो सामाजिक बहिष्कार या गरीबी की स्थिति में रहते हैं या रहने का जोखिम उठाते हैं। रोजगार, आवास, शिक्षा और सामाजिक और चिकित्सा सहायता महत्वपूर्ण सामाजिक अधिकार हैं जिन्हें आर्थिक संकट के समय में भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है, आयुक्त ने चिंता के साथ कहा कि 20 प्रतिशत से अधिक बच्चों और बुजुर्गों को गरीबी के जोखिम में माना जाता है।[(2)]

वैश्वीकरण ने वैज्ञानिकता को अधिक प्रचारित और प्रसारित किया है जिससे धार्मिक आस्था में तार्किकता तो आयी है किंतु धार्मिक आस्था के नाम पर भी मनुष्य का 'जीने का अधिकार' रक्षित नहीं है। जिसका उदाहरण विभिन्न क्रमों में देखा जा सकता है नवरात्रि में होने वाली दुर्गा पूजा की मूर्तियों का विसर्जन किया जाता है जिसमें केवल दिल्ली में 800 से अधिक, दुर्गा प्रतिमाऐं स्थापित होती हैं। कोलकाता में लगभग सो वर्ष पूर्व एक–दो प्रतिमाऐं ही स्थापित होती थी। 50 वर्ष पूर्व 300, 400 और आज इनकी तादाद 2500 से ज्यादा है। 'केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड' के 2010 की रिपोर्ट के आधार पर कहा जाता है कि विसर्जन के बाद पानी में 'टोटल डिजाल्वड सालिड' बढ़कर 100 प्रतिशत तक पहुंच जाता है। पानी में खनिज तत्व जैसे लोहा, तांबा आदि की मात्रा 200 से 300 प्रतिशत बढ़ जाती है जिससे मनुष्यों में अपगंता बढ़ने का खतरा बना रहता है।

वर्तमान वैश्वीकरण के दौर में हम जल–मण्डल को सुरक्षित कर मानव अधिकारों की रक्षा कर सकते हैं जो कि एक सराहनीय काम है। इसके लिये हमे हानिकारक 'अपशिष्ट पदार्थो' को पानी में मिलने से रोकना होगा। पीने के पानी के स्त्रोतों जैसे तालाब, नदी, आदि के चारों ओर दीवार बनाकर उसमें गन्दगी को मिलने से रोकना होगा। नदियों व तालाबों में पशुओं के नहलाने व वाहनों के धोने पर रोक होनी चाहिए। समय–समय पर जलाशयों की सफाई ऑक्सीकरण–तालों व छानने की सहायता से जल का शुद्धीकरण होना चाहिए।

स्थलमण्डल को शुद्ध व साफ रखकर मानवीय अधिकारों को संरक्षित किया जा सकता है। वैश्वीकरण के चलते नवीन तकनीकों के आविष्कारों और औद्योगीकरण के द्वारा स्थल मण्डल को हो रहे नुकसान विभिन्न रूपों यथा–अनियमित भूकम्पों और धरती के धसने, जैसी समस्याओं के रूपों में देखा जा सकता है। स्थल मण्डल में ठोस पर्त में यानि मिट्टी को प्रदूषित होने से रोकने में भूमि तथा जल में मलमूत्र विसर्जन के लिए एक सम्पूर्ण निस्तारण का वैज्ञानिक तरीका आवश्यक है। ठोस पदार्थ जैसे तांबा, लोहा, कॉच, को मिट्टी में नहीं दबाना चाहिए। उर्वरकों तथा कीटनाशकों का प्रयोग जरूरत पड़ने पर सीमित मात्रा में करना चाहिए।

स्थलमण्डल में फास्फोरस, कैल्शियम आदि को शामिल किया गया है। वैश्वीकरण का मानव अधिकारों पर यह प्रभाव पड़ा है कि कैल्शियम के नाम पर आज उसे 'शुद्ध प्राकृतिक' दूध भी नसीब नहीं है दूध व उससे बनी वस्तुओं में मिलावट के नाम पर मानव जीवन से खिलवाड़ किया जा रहा है, यह वैश्वीकरण की नकारात्मक छवि को दर्शाता है। सामाजिक , राजनीतिक एवं आर्थिक परिस्थितियों में वैश्वीकरण जरुर हुआ है और इसका मानव अधिकारों पर विपरीत प्रभाव पड़ा है। वायुमण्डल में विश्व के बड़े देशों द्वारा तरक्की के नाम पर इतनी अधिक मात्रा में विषैली गैसें छोड़ी गई हैं जैसे – कार्बन डाइआक्साइड, कार्बन मोनोआस्साइड, नाइट्रोजन आक्साइड आदिं। क्लोरो फ्लोरो कार्बन पदार्थ आसमान में 'ओजोन पर्त' को नष्ट करके नुकसान पहुंचाने वाली 'पराबैगनी किरणें' जीवों को हानि पहुंचाती है। वैश्वीकरण के नाम पर अमेरिका व चीन दुनिया के सर्वाधिक 'ईपीटीसी कार्बन' 16.6% निर्गत कर वातावरण को दूषित करने वाले देश है। रूस, जापान, दक्षिण कोरिया, कनाडा, ब्रिटेन, जर्मनी, इटली, ईरान, फ्रांस, पौलेंड, मैक्सिको विश्व के तकरीबन 40 देश ऐसे हैं, जिनके द्वारा 'कार्बन' उत्सर्जन तय सीमा से अधिक किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त 28 देशों का समूह 'यूरोपीय संघ' 7.3 प्रतिशत ईपीसीटी रेंज में है। अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन, रूस आदि बड़े देशों में वैश्वीकरण से औद्योगिक विकास के कारण वातावरण प्रदूषण की समस्या अधिक बढ़ गयी है जिसका प्रभाव मानव अधिकारों पर पड़ा है।

वायुमण्डल के दूषित होने से मानव के स्वास्थ्य पर नुकसानदेह असर पड़ रहा है परिणाम स्वरूप श्वसनतन्त्र प्रभावित हो रहा है तथा दमा, गले का दर्द, निमोनिया एवं फैफड़ों का कैन्सर आदि खतरनाक बीमारियाँ सामने आ रही हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन के आंकड़ों के द्वारा बताया गया है कि प्रत्येक वर्ष 2 से 4 लाख लोगों की मौत का कारण सीधे–सीधे वायु प्रदूषण है, श्री दीक्षित नेविल पिंटो द्वारा प्रकाशित एक सर्वे के अनुसार भारत की राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में बढ़ते वायु प्रदूषण के कारण रहने वाले लोगों के द्वारा एक दिन में 45 से 50 सिगरेट पीने के बराबर प्रदूषित वायु में सांस लेने को बाध्य है।[5] ज्वालामुखियों से निकली राख, आंधी तूफान से उड़ती धूल, वनों में लगी आग से निकलने वाला धुंआ, कोहरा, ये सभी इन बीमारियों के लिये जिम्मेदार हैं। इसके अलावा अम्लीय वर्षा के जरिये फसलों व वनों का भी नुकसान पहुंच रहा है।

वायुमण्डल शुद्ध करने के लिये घरों से निकलने वाले धुंए को कम करना होगा। पेट्रेल व डीजल से निकलने वाले धुऐं को 'निर्वातक छन्ना' (Vaccum Filter) के जरिये कम करना चाहिये। ईट के भट्टे गांव व शहरी आबादी से दूर होना चाहिए। सड़कों के किनारे अधिक पेड़ पौधे लगाने चाहिए , इन तमाम कोशिशों के जरिये वैश्वीकरण का मानव अधिकारों पर जो नकारात्मक प्रभाव पड़ा है शायद कुछ हद तक उसको कम किया जा सके। वैश्वीकरण का जो जैव मण्डल पर क्षति वाला प्रभाव रहा है वे जलीय मण्डल, स्थलीय मण्डल, वायु मण्डल को शुद्ध करके जैव मण्डल को क्षति से बचाया जा सकता है। मानव जीवन सहित समस्त जीव–प्राणी ईश्वर की अप्रतिम रचना है जो कि संरक्षित तभी समझी जा सकती है, जब वैश्वीकरण के इस दौर में मानव के अधिकारों को रक्षित किया जाए, जिसकी दिशा में प्रयास तो निरंतर जारी हैं लेकिन अभी सफलता मिलना बाकी है।

आज इस वैश्वीकरण के दौर में न तो ठण्डी हवायें ही चलती हैं और ना ही झूमते हुए वृक्ष नजर आते हैं, वैश्वीकरण की इस मदहोशी का मानव अधिकारों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा है। तरक्की के चक्कर में मनुष्य ये भूल बैठा है कि वह स्वयं ही अपने पर्यावरण को नष्ट करने पर तुला है, कभी तकनीकी विकास के बहाने, कभी धार्मिकता की आड़ में उच्च स्तरीय व्यवस्था गड़बड़ा गई है। इस व्यवस्था में तकरीबन चार मुख्य तथ्य हैं – (1) जनसंख्या, (2) जैव समुदाय (Biotic Community) घास का मैदान, तालाब (3) पारितन्त्र Ecosystem पौधो, जन्तु और प्राकृतिक वातावरण मिलकर पारितन्त्र का निर्माण करते हैं, (4) जीव मण्डल (Biosphere) जल, थल, वायु प्राकृतिक भाग जिसमें

सूक्ष्म जीव, पौधे, जन्तु आदि रहते हैं जीव मण्डल कहलाता है। यही चार आधारों वाली व्यवस्था अव्यवस्थित हो गई है जिसके कारण पर्यावरण को सुरक्षित रखने में खतरा उत्पन्न हो गया है, वैश्वीकरण के कारण ये खतरा दिन दूना और रात चौगुना बढ़ रहा है। जनसंख्या विस्फोट के कारण आवास, स्थान, भोजन ऊर्जा आदि की मांग बढ़ती जा रही है। इसे पूरा करने के लिये मनुष्य वनों को काट रहा है वहां मकानों, सड़कों, खेती, मवेशियों के लिये चारागाहों का निर्माण कर रहा है। जल–विद्युत योजनाऐं बनाने के लिये सैकड़ों किलोमीटर वनों को नष्ट किया जा रहा है। मनुष्य के दैनिक कार्य व औद्योगिक क्रिया–कलाप वायु–जल एवं मृदा का प्रदूषण कर रहे हैं तथा वन्य जीवों के आवास को नष्ट कर रहे हैं।

वैश्वीकरण की वजह से मानव अधिकारों पर हानिकारक प्रभाव पड़ रहा है, और मनुष्य स्वयं उस पर्यावरण का नाश कर रहा है जिसमें वह स्वयं श्वास लेता है, किन्तु वायु में घुलित प्राण वायु यानि ऑक्सीजन का उत्सर्जन करने वाले पेड़–पौधों को कटाई से रोकना आवश्यक है, इसे रोकने के लिये जिसमें पहले कदम पर वनों व पेड़ों का संरक्षण करना है। इसमें मानव के अधिकारों की रक्षा सर्वप्रथम कार्य है, मानव का कानूनी व मानवीय अधिकार है कि उसे ऐसा वातावरण राज्य व सरकार की ओर से देना चाहिये जिसमें वह साफ सुथरी हवा में सांस ले सकें। प्राकृतिक संतुलन बनाये रखने के लिये वह मानव अधिकारों की रक्षा के लिये ये उपाय करना उचित होगा – विशाल वृक्ष पर अनेक जीव–पक्षी निवास करते हैं अतः वृक्षों को ईधन व अन्य व्यापारिक उपयोगों के लिये काटने पर पूर्ण प्रतिबन्ध लगा देना चाहिए। वनों में चोरी एवं तस्करी रोकने के लिये सुदृढ़ एवं कठोर व्यवस्था की जानी चाहिए। वनों को पर्यटक स्थलों के रूप में विकसित नहीं करना चाहिए। यदि औषधि निर्माण के लिये वृक्ष को काटा जाये तो उतनी ही मात्रा में नये वृक्ष रोपड़ कर दिया जाये।

अन्तर्राष्ट्रीय व राष्ट्रीय स्तर पर मनुष्यों के अधिकारों को संरक्षित करने के अनेकों उपाय किए गए हैं गया है जिसमें यूनेस्को का मानव और जीवन मण्डल कार्यक्रम व विश्व संरक्षण नीति प्रमुख है। इसके अतिरिक्त भारतीय संविधान में अनधिकृत रूप से जंगलों को काटने पर पाबन्दी लगा दी गई। जुलाई 1995 ई. में सम्पूर्ण देश में प्रत्येक वर्ष 1 से 8 अक्टूबर तक जंगली जीव सप्ताह माना जाता है। आवश्यकता इन कानूनों पर अमल करने की है। तरक्की की इस दौड़ में यदा कदा वृक्षारोपण का कार्य भी चल रहा है लेकिन प्रकृति का नुकसान इतना अधिक हो चुका है कि इतने कम स्तर पर इस कार्य को किया गया तो वे दिन दूर नहीं जब पृथ्वी 'आग का गोला' बनती नजर आयेगी। प्राकृतिक नुकसान के लिये जिम्मेदार ग्रीन हाउस गैसों के लगातार बढ़ने से मानव अधिकारों को 'खतरा' भी बढ़ता है। ग्रीन हाउस गैसों के लगातार बढ़ने से धरती व समुद्र सतह का तापमान इतना अधिक हो गया कि मार्च 2024 से मई 2024 तक वैश्विक सतह का तापमान 175 वर्षों के रिकॉर्ड में सबसे अधिक रहा जो की सबसे गर्म मार्च व मई की अवधि थी यह 20वीं सदी के औसत 13.7 डिग्री सेल्सियस (56.7°फ.) से 1.29° सेल्सियस (2.32°फ.) अधिक था। यदि तापमान इसी गति से बढ़ता रहा तो वो दिन दूर नहीं जब 2050 आते–आते दुनिया की एक चौथाई प्रजातियां लुप्त होने के कगार पर होंगी।[6] प्रकृति में असन्तुलन इतना अधिक हो गया है जिसका विपरीत प्रभाव मानव अधिकारों पर पड़ रहा है। आज भारत में अधिकांश क्षेत्रों में 'सूखा' और अमेरिका में 'बाड़' आ रही है। यही स्थिति स्थायी रही अथवा रहा या पृथ्वी का तापमान औसत इसी प्रकार बड़ता रहा तो ग्लेशियर के पिघलने से समुद्र तट के किनारे बसे देश, शहर नष्ट हो सकते हैं।

संयुक्त राष्ट्र में 2015 और 2030 के बीच वैश्विक विकास का मार्गदर्शन करने के लिए 17 अलग–अलग लेकिन परस्पर संबंधित लक्षयों का एक समूह बनाया गया है। प्रत्येक देश में कार्यों का लक्ष्य होता है और कुल मिलाकर 169 लक्ष्य है दिन में कुल 232 उपसंकेतक है एस डी जी को वैश्विक लक्ष्य के रूप में भी जाना जाता है जो 2015 में

संयुक्त राष्ट्र के सभी सदस्यों द्वारा गरीबों को समाप्त करने पृथ्वी ग्रह की रक्षा करने हेतु कार्रवाई की मांग करता है ताकि लोग 2030 तक शांति और समृद्धि का आनंद ले सकें। इन सतत विकास लक्ष्यों में मानव जीवन के प्रत्येक पहलू से संबंधित अधिकार और उसके विकास को सम्मिलित करते हुए जलवायु संरक्षण और भूमि पर जीवन को भी मुख्य लक्ष्य बनाया गया है जो कि वैश्विक स्तर पर मानव अधिकारों के पक्ष को और भी मजबूती देता है।

वर्तमान समय में न केवल भारत बल्कि वैश्वीकरण के इस दौर में 'पर्यावरण' की रक्षा करके 'मानव अधिकारों' पर पड़ने वाले नकारात्मक प्रभाव को रोकना सबसे बड़ी 'चुनौती' बनता जा रहा है। तकनीकी विकास के नाम पर वैश्वीकरण की इस दौड़ में राजनीतिक स्तर पर लोगों के हाथ में 'सेलफोन' जिसे 'मोबाइल' फोन भी कहते हैं, का होना आवश्यक हो गया है, एक ओर ये कहा जाता हे कि हमें अपनी 'सभ्यता संस्कृति' नहीं भूलनी चाहिए वहीं दूसरी ओर ये कहा जाता है कि सबके हाथों मे 'एंड्राइड' फोन होगा तभी देश का विकास होगा। जिसके कारण 'विकिरण प्रदूषण' (Radiation Pollution) से मानव अधिकारों को सर्वाधिक नुकसान पहुंच रहा है, मोबाइल फोन एवं टावरों द्वारा प्रसारित होने वाली 'विद्युत चुम्बकीय तरंगे इन्सानी 'दिमाग' और 'तंत्रिका तंत्र' में विद्युत स्पन्द उत्पन्न करती है, जिससे सिरदर्द, अपच, अनिद्रा तथा स्मरण शक्ति का अल्पकालीन क्षय, इसके अतिरिक्त इन विकिरणों के सम्पर्क में लम्बे समय तक रहने से मांसपेशियों की जकड़न, अन्धापन, बहरापन, मस्तिष्क में गांठ, रक्त कैंसर आदि रोगों की सम्भावना बन जाती है।

वैश्वीकरण का मानव अधिकारों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ने के साथ कहा जा सकता है कि जितना विकास या वैश्वीकरण इन तमाम सेल, मोबाइल आदि चीजों का हुआ है उतना ही वैश्वीकरण के द्वारा दिन–प्रतिदिन मानव जीवन नुकसान एवं भिन्न–भिन्न रोगों में भी तीव्रता हुआ है। वैश्विक स्तर पर कैंसर के मामले सबसे ज्यादा दर्ज किये गये हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन की रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2018 में कैंसर के कारण 96 लाख लोगों की मृत्यु हुई थी जनरल ऑफ ग्लोबल ऑकोलॉजी में 2017 में पब्लिश हुई रिपोर्ट में बताया गया कि विकसित देशों की तुलना में भारत में कैंसर के मरीजों की मौत की दर दोगुनी है।[7)]

'स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन का विकास' यह कथन मानव को उसके अधिकारों के बारे में जागरुक करता है। जब स्वस्थ शरीर ही नहीं होगा और उसमें स्वस्थ मन कहाँ से आयेगा जब शरीर–मन दोनों अस्वस्थ हैं तो मानव कैसे स्वस्थ हो सकता है तथा उसके मौलिक अधिकारों एवं अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मानव अधिकारों की रक्षा हो पाना कठिन है।

वैश्वीकरण का दूसरे पहलुओं पर जो अध्ययन किया जाता है उनमें गरीबी, असमानता, न्याय मिलने में देरी, पारम्परिक संस्कृति का क्षरण आदि शामिल है। गरीबी से न केवल भारत बल्कि एशियाई स्तर पर बांगलादेश, भूटान, नेपाल, अफगानिस्तान आदि देशों में मानव को दो वक्त की रोटी जुटाना मुश्किल हो रहा है। पहले व्यक्ति की मूल आवश्यकताओं की पूर्ति होगी। उसके उपरान्त विकास आदि से सम्बन्धित वस्तुओं पर ध्यान दिया जायेगा। मानव अधिकारों को प्राप्त करने में अक्षम व्यक्तियों को स्वयं अपने अधिकारों की जानकारी होना भी आवश्यक है। असमानता तो विश्व स्तर पर हर जगह देखने को मिल जायेगी लेकिन व्यक्तियों में इतनी समझ या साहस नहीं है कि अपने प्रति हो रही असमानता के विरूद्ध आवाज उठाये। न्यायिक आधार पर भी मानव के अधिकार रक्षित नहीं हैं। न्याय मिलने में अनावश्यक देर या जुर्म के अनुपात में दण्ड का न मिलना ये भी मानव अधिकारों पर कुठाराघात है जो आज वैश्वीकरण के काल में हो रहा है। 'पारम्परिक संस्कृति' को भी तभी सुरक्षित रखा जा सकता है, जब 'नैतिक मूल्यों का मानव में 'वास' हो आज के इस वैश्वीकरण के जमाने में ये बात नामुमकीन लगती है। जैसाकि विश्व स्तर पर हो रही घटनाओं को देख कर कहा जा सकता है।

अतः निष्कर्ष के रूप में यह कहा जा सकता है कि वैश्वीकरण की प्रक्रिया ने भले ही देशों में आर्थिक गतिविधियों से विकास की संभावनाएं बढ़ाई हो लेकिन सामान्य तौर पर इसने मानव के अधिकारों को हानि पहुंचाई है और आने वाली पीढियां के लिए संधारणीय विकास को चुनौती दी है अंतर्राष्ट्रीय एवं राष्ट्रीय स्तर पर किए गए प्रयासों के बावजूद मानव अधिकारों की सुरक्षा संदेहास्पद है।

संदर्भ सूची

1. https://www.legalserviceindia.com/legal/article-10067-impact-of-globalization-on-issues-of-human-rights.html
2. https://nhrc.nic.in/press-release/national-seminar-globalization-poverty-and-human-rights
3. www.coe.int/en/web/conrpass/globalization(1) and (2)
4. हापकिंस ए.जी. 'ग्लोबलाइजेशन इन वर्ल्ड हिस्ट्री' डब्ल्यू. डब्ल्यू. नॉर्टन एंड को. 2002(3)
5. Maggi noodles safety concerns in India. (4)
6. http://weather.com(5)
7. स्टेगर एम.बी. ग्लोबलाइजेशन वेरी शॉर्ट इंट्रोडक्शन ऑक्सफोर्ड, 2013(6)
8. American Comers Society 2012 editions of Carrer Facts & Figures(7)
9. www.jagran.com
10. सिंह योगेन्द्रकल्चर चेन्ज इन इण्डिया रावत पब्लिकेशन, 2000
11. आहूजा, राम सर्वेक्षण एवं अनुसंधान, रावत पब्लिकेशन, 2019